छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग

उच्च शिक्षा में संकाय से विशेषज्ञों और पेशेवरों को अंशकालिक परामर्शदाताओं के रूप में नियोजित करने, और परियोजनाओ में सुगमता तथा अध्ययन कार्यो अथवा अन्य शोध कार्यो को ऐसे विशेषज्ञों और पेशेवरों को सौंपे जाने हेतु प्रकिया

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग एतद्द्वारा राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली के संकाय में से, अंशकलिक परामर्शदातों के रूप में कार्य करने और परियोजनाओं की सुगमता, अध्ययन कार्यो और आयोग के अन्य शोध कार्यो के सिलसिले में विशेषज्ञों और पेशेवरों को नियोजित करने हेतु निम्नलिखित प्रकिया निर्मित करता है, नामतः—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—**

(1) इन्हें उच्च शिक्षा में संकाय से विशेषज्ञों और पेशेवरों को अंशकालिक परामर्शदाताओं के रूप में नियोजित करने, और परियोजनाओ में सुगमता तथा अध्ययन कार्यो अथवा अन्य शोध कार्यो को ऐसे विशेषज्ञों और पेशेवरों को सौंपे जाने हेतु प्रकिया कहा जा सकेगा।

(2) यह आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने की दिनांक से प्रभावशील होगी।

2. **परिभाषाएँ—**

इस प्रकिया में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो,—

(क) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है आयोग का अध्यक्ष.,

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग.,

(ग) "विशेषज्ञ अथवा पेशेवर" इस प्रकिया के उद्देश्य से अभिप्रेत है, ऐसा सन्निष्ठ और असाधारण क्षमता का कोई व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र, विधि, व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान, तकनीक अथवा ऐसे किसी अन्य विधा में विशिष्ट ज्ञान,और अनुभव प्राप्त है, जो आयोग द्वारा नियोजित कार्य के क्षेत्र से संबंधित है.,

(घ) "संकाय" से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा प्रणाली में शिक्षण अथवा शोध के अकादमिक कार्यो में लगे हुए हैं.,

(ड.) "सरकार" यदि शब्द के संदर्भ से अन्यथा आशयित न हो से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार.,

(च) "उच्च शिक्षा प्रणाली" से अभिप्रेत है, संस्थाओं की वह प्रणाली जो उच्च, तकनीकी, चिकित्सा, कृषि अथवा महाविद्यालयीन शिक्षा की किन्हीं अन्य शाखाओं, विश्वविद्यालय अथवा विद्यालय स्तर से उच्चतर कोई अन्य संस्था, जो शिक्षा प्रदान कर रही है, भले ही वह किसी उपाधि के लिए हो अथवा नहीं .,

(छ) "सदस्य" से अभिप्रेत है आयोग का कोई सदस्य, चाहे वह यथास्थिति, सरकार द्वारा अंशकालिक, पूर्णकालिक, पदेन, या अशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया हो.,

(ज) "सदस्य सचिव" से अभिप्रेत है कोई अधिकारी जिसे इस रूप में सरकार द्वारा पदांकित किया गया हो.,

(झ) "अंशकलिक परामर्शदाता"से अभिप्रेत है कोई विशेषज्ञ अथवा पेशेवर जिसे आयोग द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया हो.,

(त) "शोध सहायक" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी अंशकालिक परामर्शदाता की अनुशंसा पर निर्दिष्ट कार्य करने के लिए, किसी शोध कार्य में शोध सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है.,

(थ) "शोध कार्य" से अभिप्रेत है कोई परियोजना, मूल्यांकन अध्ययन, सर्वेक्षण, या ऐसा अन्य कोई कार्य जिसमें शोध की आवश्यकता हो, जिसे आयोग की ओर से किसी अंशकालिक परामर्शदाता को निर्दिष्ट किया जाये, और उसमें सम्मिलित है उसके प्रतिवेदन, अथवा ऐसे शोध पत्र जिन्हें प्रतिष्ठित अकादमिक जर्नलों में प्रकाशित किया जा सके.,

(द) "उपाध्यक्ष" उपाध्यक्ष से अभिप्रेत है सरकार द्वारा इस प्रकार नियुक्त उपाध्यक्ष।

3. अंशकालीन परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जाना –

आयोग अध्यक्ष के अनुमोदन से ऐसी संख्या में विशेषज्ञ और पेशेवर जो राज्य के उच्च शिक्षा प्रणाली के संकाय में अर्थशास्त्र, विधि, व्यापार, विज्ञान, तकनीक अथवा ऐसे अन्य अनुशासनों के क्षेत्रों में कार्यरत् हों, जो आयोग के कार्यो से संबंधित है, को अंशकालिक परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे,परन्तु किसी संकाय सदस्य को अंशकालीक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा, जहॉ उसके प्राथमिक नियोक्ता की राय में ऐसे संकाय सदस्य के शिक्षण या शोध से संबंधित कार्यभार को विपरीत रूप से प्रभावित किये बिना, निर्दिष्ट शोध कार्य नहीं संचालित किया जा सकता है।

4. अंशकालिक परामर्शदाता के कार्य –

आयोग द्वारा अंशकालिक परामर्शदाता के रूप में नियोजित विशेषज्ञ और पेशेवर उन्हें एकल रूप से, अथवा किसी टीम के सदस्यों के रूप में सामूहिक रूप से र्निदिष्ट किये गये ऐसे शोध कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे, और ऐसे आनुषंगिक कार्य, उच्च शिक्षा प्रणाली में शिक्षण अथवा शोध के अपने प्राथमिक कार्यो को प्रभावित किये बिना, निष्पादित करेंगें।

5. अंशकालिक परामर्शदाता हेतु अर्हताएँ, अनुभव और वर्गीकरण –

(1) अंशकालीक परामर्शदाताओं को संबंधित विशेषज्ञता क्षेत्रों और/ अथवा व्यवसायों में उनकी ख्याति के आधार पर अनुसूची एक में निर्दिष्ट किये अनुसार वर्गीकृत किया जायेगा.,
परन्तु आयोग अपने कार्यो के निर्वहन में सहायता देने के लिए आवश्यकतानुसार किसी अन्य अनुशासन के विशेषज्ञों ओर पेशेवरों को भी अंशकालिक परामर्शदाताओं के रूप में नियोजित कर सकेगा।

(2) उपखण्ड (एक) के अध्यधीन और संबंधित अनुशासनों में विशेषज्ञों की अर्हता, विशेषज्ञता और अनुभव को देखते हुए उन्हें तीन स्तरों में; अनुसूची दो में निर्दिष्ट किये अनुसार श्रेणीबद्ध किया जायेगा।

6. अंशकालिक परामर्शदाताओं को भुगतान योग्य पारिश्रमिक–

विशेषज्ञों और पेशेवरों की विभिन्न श्रेणियों को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक अनुसूची तीन के अनुसार होगा.,

परन्तु आयोग लेखबद्ध किये गये कारणों से अनुसूची तीन में निर्दिष्ट से उच्चतर पारिश्रमिक, विशिष्ट रूप से योग्य प्रकरणों में भुगतान किये जाने हेतु सहमत हो सकेगा।

7. अंशकालिक परामर्शदाताओं के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन –

इन विनियमों के अधीन नियोजित अंशकालिक परामर्शदाता के कार्य निष्पादन की समीक्षा, उनकों सौंपे गये शोध कार्य तथा अन्य कार्य एवं उनसे प्राप्त नतीजों के संदर्भ में, सावधिक रूप से, ऐसे समय में और ऐसी रीति से की जायेगी जैसी आयोग द्वारा विर्निदिष्ट की जाये।

8. अंशकालीन परामर्शदाताओं के चयन की प्रक्रिया:–

(1) आयोग द्वारा विशेषज्ञों और पेशेवरों का नियोजन सामान्यतः ऐसे नियोजन हेतु योग्य पाये गये संकायों में से संविदा आधार पर किया जायेगा।

(2) आयोग का सदस्य सचिव, विशेषज्ञ और पेशेवर की प्रत्येक श्रेणी और स्तर के लिए आयोग की अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी और स्तर के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति का अंतिम दिनांक उल्लिखित किया जायेगा ।

(3) आयोग यदि वह आवश्यक समझे तो संकाय को अंशकालिक परामर्शदाताओं के रूप में पंजीकरण की उपयुक्तता पर विचार करने हेतु छानबीन समिति/(समितियॉ)गठित कर सकेगा,. और आयोग अपनी वेबसाइट पर एक पंजी संधारित करेगा जिसमें समय–समय पर नियोजन हेतु उपयुक्त पायी गयी संकाय का विवरण अंकित रहेगा।

(4) प्रत्येक अंशकालिक परामर्शदाता को किसी एक विशिष्ट शोध कार्य हेतु नियोजित किया जायेगा;

परन्तु अपवाद स्वरूप प्रकरणों में किसी संकाय को ऐसे शोध कार्य के जीवनकाल से आगे भी एक अथवा एक से अधिक शोध कार्य के लिए नियोजित रखा जा सकेगा;

परन्तु यह और भी कि ऐसे प्रत्येक संकाय को जिसे अंशकालिक परामर्शदाता के रूप में नियोजित किया गया है यह वचन पत्र देना होगा कि इस प्रकार के नियौजन से, किसी भी रूप में उसके अपने शिक्षण कार्य अथवा शोध संबंधी अपेक्षित कार्यो पर विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा, और जहॉ कही आवश्यकता हो उसके द्वारा ऐसे मूल नियोक्ता से आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(5) आयोग द्वारा, समय–समय पर नियोजित करने हेतु विशेषज्ञों और पेशेवरों की संख्या निर्धारित की जा सकेगी.,

किसी संकाय को अंशकलिक परामर्शदाता के रूप में नियोजन हेतु उपयुक्तरूप में पंजीकृत करने का निर्णय आयोग का होगा।

9. अंशकालिक परामर्शदाता के नियोजन की शर्ते और दशाएॅः–

(1) नियोजन के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेने पर कोई अंशकलिक परामर्शदाता उसे कोई शोध कार्य सौंपे जाने से पूर्व, आयोग की ओर से कार्य करते हुए सदस्य सचिव के साथ अनुबंध करेगा; जिसमें इसकी गोपनीयता का खण्ड तथा नियोजन की शर्तो और दशाओं का विवरण सम्मिलित रहेगा ।

(2) नियोजन की शर्ते और दशाएॅ किसी विशिष्ट प्रकरण में, जहॉ आयोग आवश्यक समझे रूपांतरित की जा सकेंगी

(3) आयोग के पास उपलब्ध विधिक उपचारों के अतिरिक्त, और उन पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, उपखण्ड–एक के अधीन निष्पादित अनुबंध का अंशकालिक परामर्शदाता द्वारा अथवा उसकी ओर से भंग किया जाना अनुबंध के अधीन किये गये नियोजन को समाप्त करने का पर्याप्त आधार माना जायेगा; और वह ऐसे संकाय को भविष्य में किसी भी समय आगे नियोजित करने हेतु रोक सकेगा।

10. **शोध सहायकों का नियोजन :–**

(1) कोई अंशकालिक परामर्शदाता, शोध सहायक के रूप में नियोजन के लिए किसी ऐसे संस्था में पंजीबद्ध विद्यार्थी की अनुशंसा कर सकेगा जो व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातक उपाधि कार्यक्रम के अंतिम वर्ष और अन्य सभी प्रकरणों में स्नातकोत्तर स्तर से निम्न स्तर का नहीं हो, जो अंशकालिक परामर्शदाता की राय में ऐसी स्थिति का हो, जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट शोध कार्य में सार्थक योगदान दे सके।

(2) कोई शोध सहायक अंशकालिक परामर्शदाता की अनुशंसा पर नियोजित किया जायेगा और उसे शोध कार्य की अवधि के लिए अथवा शोध कार्य समाप्त होने से पूर्व किसी ऐसी अवधि के लिए, जो अंशकालिक परामर्शदाता द्वारा शोध हेतु पर्याप्त समझी जाये, अंशकालिक परामर्शदाता को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा।

(3) अंशकालिक परामर्शदाता शोध सहायक के आचरण और उत्पादक उपयोग हेतु उत्तरदायी होगा, साथ ही अनुसूची–चार में प्रावधानित मानदेय की राशि के भुगतान कराने हेतु उत्तरदायी होगा

(4) अंशकालिक परामर्शदाता द्वारा शोध सहायक के कार्य निष्पादन और शोध अभिवृत्ति के मूल्यांकन के आधार पर एक प्रतिवेदन, ऐसे अन्तराल पर जो आयोग तथा अंशकालिक परामर्शदाता के बीच अभिनिश्चित किया जाये, सौंपेगा।

11. **शिथिल करने का अधिकारः–**

आयोग, जैसा वह अपने कार्यो के निर्वहन में आवश्यक समझे, इस प्रक्रिया में लागू किये गये निर्बधंनों को शिथिल कर सकेगा।

12. **कठिनाई का निवारणः–**

इस प्रक्रिया के लागू किये जाने के संबंध में यदि कोई शंका अथवा कठिनाई उद्भूत होती है, तो उसे आयोग के समक्ष रखा जायेगा और उस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

अनुसूची–एक
अर्हता और अनुभव

क. अर्हता:

1. अनिवार्य : सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि,/ व्यावसायिक/तकनीकी अनुशासन में स्नातक
2. वांछनीय : एम. फिल./एम. टेक./एम. डी./एम. एस./पी. एच. डी./पोस्ट डाक्टरेट/डॉक्टर इन साइंस, सुसंगत विषय में ।

ख. अनुभव:

1. अर्हता प्राप्त करने के बाद शिक्षण और /शोध,
2. शोध अनुभव, जो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र, विकसित तकनीक/तकनीकें, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एक्सपोजर,किये गये शोध परियोजनाओं, प्रकाशित पुस्तक, प्राप्त पुरस्कारों और सम्मानों द्वारा यथा प्रमाणित हो।

अनुसूची–दो
अंशकालिक परमार्शदाताओं /विशेषज्ञों/पेशेवरों का वर्गीकरण

वर्ग–क प्राध्यापक / राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त/ ऐसे व्यक्ति जिसके सुसंगत विषय में प्रतिष्ठित जर्नल द्वारा न्यूनतम 10 शोधपत्र प्रकाशित किये गये है, न्यूनतम 15 वर्षो का शिक्षण /शोध में अनुभव ।

वर्ग–ख सुसंगत विषय में प्रवाचक/एसोसियेट प्रोफेसर, न्यूनतम 10 वर्षो का शिक्षण /शोध में अनुभव ।

वर्ग–ग अन्य शिक्षण/शोध एवं प्रदर्शक व्यवसायी, सुसंगत विषय में, न्यूनतम 03 वर्षो का शिक्षण /शोध में अनुभव ।

अनुसूची–तीन
अध्ययन/परियोजना के लिए पारिश्रमिक/मानदेय

1. मानदेय का भुगतान अनुसूची–दो में किये गये वर्गीकरण के साथ–साथ, अध्ययन/परियोजना को पूरा करने के लिए आदर्श रूप से वांछित महीनों की संख्या के अनुरूप किया जायेगा। वांछित महीनों की संख्या का निर्धारण, एस

पी सी की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा परियोजना /अध्ययन को अवार्ड करने से पूर्व निर्धारित की जायेगी।

वर्ग क के लिए– रू. 25000 प्रतिमाह, वर्ग ख के लिए रू.21000 प्रतिमाह, वर्ग ग के लिए रू. 18000 प्रतिमाह

2. तकनीकी सलाहकर समिति द्वारा अपवाद स्वरूप प्रकरणों में,जिसके लिए नस्ती पर कारण लेखबद्ध करने होंगे, रू. 5000 प्रतिमाह की अतिरिक्त राशि हेतु अनुशंसा की जा सकेगी।

3. यह राशि समेकित होगी और समस्त व्यक्तिगत भत्तों को मिलाकर होगी।

4. प्रत्येक प्रकरण में परियोजना/अध्ययन की लागत का निर्धारण परामर्शदाता द्वारा दी गई प्रस्तुति के उपरान्त, तकनीकी सलाहकर समिति द्वारा किया जायेगा।

5. प्रत्येक शोध कार्य/अध्ययन के लिए मैदानी कार्यो, वस्तुओं और लेखन सामग्री आदि के लिए परियोजना लागत घटक का निर्धारण तकनीकी सलाहकर समिति द्वारा किया जायेगा और उसका भुगतान संबंधित संस्था के माध्यम से किया जायेगा।

6. संस्थागत प्रभार, यदि कोई हों तो उनका उल्लेख पृथक से परियोजना/अध्ययन लागत में किया जाना चाहिए ; जहॉ ऐसा शोध प्रस्ताव संकाय द्वारा दिया गया है।

7. समस्त वित्तीय संव्यवहार संस्थागत बैंक खाते के माध्यम से किये जायेंगे।

अनुसूची–चार
शोध सहायक (पूर्णकालिक) का पारिश्रमिक

श्रेणी एक– शोध सहायक जो तकनीकी विषय (चिकित्सा/अभियांत्रिकी/विधि/आदि जहॉ स्नातक पाठ्क्रम चार वर्ष का है)/अन्य सामान्य विषयों में स्नातकोत्तर– अध्ययन/परियोजना का रू. 12000 प्रतिमाह।

श्रेणी दो –स्नातकोत्तर शोध सहायक (सामान्य विषय में) अथवा तकनीकी विषय में स्नातक– अध्ययन/परियोजना का रू. 15000 प्रतिमाह।

परामर्शदाता द्वारा शोध सहायक की नियुक्ति की जायेगी और विहित दर पर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।